

बिहार सरकार
कृषि विभाग

!! अधिसूचना !!

पटना, 15 दिनांक-23.06.2016

संख्या-01/ए०जी०-158/14-2805 /बिहार कृषि सेवा, कोटि-1 (शष्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष स्तर के पद एवं स्थान पर कार्यहित में अपने वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वरीयता क्रमांक | कोटि/वर्ग | स्थानांतरित/पदस्थापन का पद एवं स्थान |
|----------|---|----------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री गुलाब यादव, संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | 26/886 | कोटि-1 (शष्य) वर्ग-1 | निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना। |
| 2 | श्री सुनील कुमार पंकज, संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 31/894 | कोटि-1 (शष्य) वर्ग-1 | संयुक्त निदेशक (उद्यान), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना |
| 3 | श्री सुरेन्द्र नाथ, संयुक्त निदेशक (उद्यान), उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना | 42/913 | कोटि-1 (शष्य) वर्ग-1 | संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर |
| 4 | श्री मृत्युंजय कुमार, संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा बिहार, पटना। | 47/923 | कोटि-1 (शष्य) वर्ग-1 | संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ |
| 5 | श्री आदित्य नारायण राय, निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना। | -/881 | कोटि-1 (शष्य) वर्ग-1 | संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा बिहार, पटना। अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम। |

2. सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने वर्तमान पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंपकर नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक-30.06.2016 तक अनिवार्य रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। जिन स्थानांतरित पदाधिकारियों के स्थान पर किसी प्रतिस्थानी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है, उन पदाधिकारियों को अपने नियंत्रित पदाधिकारियों के आदेशानुसार स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप प्रभार सौंपकर नवपदस्थापित स्थान पर निर्धारित तिथि तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक-30.06.2016 तक प्रभार नहीं सौंपने वाले पदाधिकारी उक्त तिथि से नवपदस्थापित स्थान के लिए स्वतः विरमित समझे जायेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय शर्मा)
सरकार के अवर सचिव

23.06.16

